राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2187 / 2025

भंवर लाल यादव

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए, अतिरिक्त प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
3. संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 17.03.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : सुश्री राधिका महरवाल, अति.राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में पशुधन सहायक के पद पर राजकीय पशु चिकित्सालय उप केंद्र खोरामीणा, आमेर जिला जयपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 13.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से उपकेन्द्र कलमोदिया, बारां में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी पुष्पा कुमारी को पदस्थापित किया गया था, जिसे आदेश दिनांक 15.01.2025 के अन्य आदेश से विलोपित किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी के वर्तमान पदस्थापन स्थान को रिक्त रखा गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण एक वर्ष की अल्पावधि में किया गया है। उनका आगे कथन है कि अपीलार्थी का 9 वर्षीय छोटा बच्चा है, जो Ortisol dysplasia with seizures के रोग से पीड़ित है,

जिसका पिछले आठ वर्ष से लगातार ईलाज चल रहा है, जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी अपीलार्थी पर ही है। अपीलार्थी का स्थानांतरण 300 किमी. दूर किया गया है। ऐसे में अपीलार्थी को स्थानांतरण से विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 2 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करें और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष